

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक: प.10()चुनाव/जन/स्वाशा/19/8346


दिनांक: 03/9/19

आदेश

राज्य की 52 नगरीय निकायो के चुनाव के वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा चुका है। शेष नगरीय निकायों में 2020-21 में आयोजित होने वाले चुनाव के क्रम में संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावित वार्डों के पुर्नगठन एवं परिसीमांकन प्रस्तावों पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर एवं विभागीय कमेटी की अभिशंषानुसार संशोधित वार्ड प्रस्ताव (प्रपत्र क, ख व नक्शा) तैयार कर संलग्न सूची अनुसार निर्धारित दिनांक को आवश्यक रूप से व्यक्तिशः निम्न सूचनाओ सहित (आयुक्त/अधिशायी अधिकारी) उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

1. पांच सेट मूल प्रपत्र क, ख व नक्शा।
2. सॉफ्ट कॉपी पैन ड्राईव में प्रपत्र क, ख मंगल फोन्ट एवं संलग्न निर्देशों के अनुसार लाना सुनिश्चित करे।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(सुनील भाटी)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक: प.10()चुनाव/जन/स्वाशा/19/8347-8541
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

दिनांक: 03/9/19

01. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशायी अधिकारी (52 नगरीय निकायो के अतिरिक्त) समस्त राजस्थान। को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार प्रपत्र क, ख, व नक्शा मूल सेट एवं सॉफ्ट कापी पैन ड्राईव में लाना सुनिश्चित करावे एवं व्यक्तिशः रूप से उपस्थित होकर ई-गजट हेतु आई.टी.सेल निदेशालय मे अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करावे।
02. सिस्टम एनालिस्ट, आईटी सेल निदेशालय को भेजकर लेख है कि गजट हेतु प्राप्त प्रपत्र क का सॉफ्ट कॉपी से मिलान कर एवं पूर्ण रूप से जाँच के उपरांत ही अपलोड करवाने की कार्यवाही की जावें।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

क्र.सं.	दिनांक	नगरीय निकाय
1.	जयपुर संभाग, 04.09.2019	चौमू, सांभर, चाकसू, कोटपूतली, फुलेरा, शाहपुरा, विराटनगर, जोबनेर, बगरू, किशनगढ रेनवाल, राजगढ(अलवर), खेरली, तिजारा, खेरथल, बहरोड, किशनगढबास, दौसा, बांदीकुई, लालसोट, फतेहपुर शोखावाटी, लक्ष्मणगढ, रामगढशोखावाटी, श्रीमाधोपुर, खण्डेला, रींगस, लोसल, विधाविहार, नवलगढ, चिडावा, बग्गड, खेतडी, मण्डावा, मुकन्दगढ, सूरजगढ, उदयपुरवाटी
2.	भरतपुर, संभाग 05.09.2019	बयाना, भुसावर, डीग, कांमा, कुम्हेर, नदबई, नगर, वैर, धौलपुर, बाडी, राजाखेडा, सवाईमाधोपुर, गंगापुरसिटी, करौली, हिण्डौनसिटी टोडाभीम,
3.	उदयपुर संभाग 06.09. 2019	फतेहनगर, भीण्डर, सलूमबर, कुशलगढ, डूंगरपुर, सांगवाडा, प्रतापगढ, बेगू, छोटी सादडी, बडी सादडी, कपासन, राजसमन्द, देवगढ
4.	बीकानेर संभाग 09.09.2019	नोखा, देशनोक, श्रीडूंगरगढ, रतननगर, सुजानगढ, सरदारशहर, छापर, बीदासर, रतनगढ, तारानगर, राजलदेसर, गंजसिंहपुर, रायसिंहनगर, केसरीसिंहपुर, श्रीकरणपुर, अनुपगढ, श्रीविजयनगर, सादुलशहर, पदमपुर, संगरिया, नोहर, भादरा, रावतसर, पीलीबंगा
5.	अजमेर संभाग 11.09.2019	शाहपुरा(भीलवाडा), भीलवाडा, माण्डलगढ, गंगापुर, आसीन्द, जहाजपुर, डेगाना, गुलाबपुरा, अजमेर, विजयनगर, केकडी, सरवाड, किशनगढ, निवाई, टोडारायसिंह, मालपुरा, देवली, उनियारा, नागौर, लाडनू, मेडतासिटी, कुचामनसिटी, परबतसर, नावां, कुचेरा, मूण्डवा,
6.	कोटा संभाग 12.09.2019	रामगंजमण्डी, ईटावा, बूंदी, लाखेरी, केशोरायपाटन, नैनवा, कापरेन, इन्द्रगढ, बांरा, अन्ता, झालावाड, भवानीमण्डी, झालरापाटन, पिडावा, अकलेरा
7.	जोधपुर संभाग 13.09.2019	पीपाडसिटी, बिलाडा, पोकरण, आबूरोड, सोजतसिटी, सादडी, वाली, तख्तगढ, रानीखुर्द, जैतारण, फालना, सांचौर,

परिसीमांकन के ई-गजट में प्रकाशन हेतु सभी नगर निकायों से सूचना निम्न फॉर्मेट में प्राप्त की जानी है -

1. सभी फाइल .DOCX/DOC फॉर्मेट में होने चाहिए इसके अतिरिक्त अन्य फॉर्मेट में फाइल स्वीकार्य नहीं होगी।
2. प्रपत्र 'क' एवं 'ख' एक ही .DOCX/DOC फाइल में होनी चाहिए।
3. किया गया सम्पूर्ण हिन्दी का कार्य मंगल(MANGAL) एवं अंग्रेजी का कार्य Times New Roman फोन्ट में होना चाहिए।
4. फोन्ट साइज हिन्दी की 11 एवं अंग्रेजी की 12 होनी चाहिए।
5. वर्ड फाइल में पेज साइज A4 होनी चाहिए।
6. फाइल में पेज का मार्जिन से TOP 0.9", Bottom 1.0", Right 0.9", Left 1" होना चाहिए।
7. दो लाइनों के बीच में स्पेशिंग(Spacing) 1.15 होनी चाहिए।
8. फाइल में अगर टेबल का प्रयोग किया गया है तो टेबल निरन्तर होनी चाहिए टेबल में किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं होना चाहिए।
9. फाइल में दो पैराग्राफ के मध्य अतिरिक्त स्पेस नहीं होना चाहिए।